<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>19.12.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18.12.2025 और 19.12.2025 को पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली राज्यों में 13 स्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध आप्रवासन से संबंधित 'डंकी रूट केस' में धन शोधन की जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 4.68 करोड़ रुपये की नकदी, 8.07 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की सोने की छड़ें (5.9 किलोग्राम), 2.7 लाख रुपये मूल्य के सोने के सिक्के (20 ग्राम) और 6.42 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चांदी की छड़ें (313 किलोग्राम) के साथ-साथ कई डिजिटल उपकरण और विभिन्न अपराध-संकेती रिकॉर्ड/दस्तावेज़ पाए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, तलाशी कार्रवाई के दौरान, विभिन्न परिसरों से तीसरे पक्ष के 50 से अधिक मूल पासपोर्ट भी पाए गए, जिनकी जांच की जा रही है।

ई.डी. ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफ.आई.आर. के आधार पर जांच शुरू की, जो बी.एन.एस. 2023 (पूर्ववर्ती आई.पी.सी. 1860) और आव्रजन अधिनियम, 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत 330 भारतीय नागरिकों को फरवरी 2025 में अमेरिका सरकार द्वारा सैन्य कार्गो विमानों पर भारत में निर्वासित करने से संबंधित हैं, क्योंकि वे 330 लोग अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कर गए थे।

ईडी की जाँच में पता चला कि विभिन्न 'एजेंट' और उनके सहयोगी भोले-भाले लोगों को कानूनी रूप से अमेरिका भेजने के बहाने लुभाकर धोखा देते थे और इसके लिए मोटी रकम वसूलते थे। यह व्यवस्था और सुविधा ट्रैवल एजेंट, बिचौलिए, डनकर, विदेशी सहयोगी, हवाला ऑपरेटर, लॉजिंग और अन्य लॉजिस्टिक्स व्यवस्था प्रदाताओं जैसे व्यक्तियों के जटिल जाल द्वारा की जाती थी। हालाँकि, बाद में वे लोगों को विभिन्न दक्षिण अमेरिकी देशों के माध्यम से खतरनाक मार्गों से भेजते थे और उन्हें अमेरिका-मेक्सिको सीमा के माध्यम से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश कराया जाता था। रास्ते में, लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, उनसे और भी अधिक पैसे वसूले जाते थे और उनसे अवैध कार्य कराए जाते थे। ऐसे 'एजेंट' और उनके सहयोगियों ने झूठे बहाने बनाकर विभिन्न व्यक्तियों को धोखा देकर और उनसे बड़ी रकम प्राप्त करके अपराध के आगम उत्पन्न किए।

पूर्व में इस मामले में 09.07.2025 और 11.07.2025 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 19 स्थानों पर तलाशी ली गई थी, जिसमें जाली आप्रवासन स्टाम्प, जाली वीज़ा स्टाम्प, रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों सहित अपराध-संकेती दस्तावेज और सामग्री मिली और बरामद की गई थी। इसके अलावा, 15.12.2025 को ईडी ने विभिन्न एजेंटों द्वारा उत्पन्न अपराध के आगमों से प्राप्त कृषि भूमि, आवासीय परिसर, व्यावसायिक परिसर और बैंक खातों सहित लगभग 5.41 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जो 'डंकी' मार्ग के माध्यम से अवैध रूप से व्यक्तियों को अमेरिका भेजने में शामिल थे।

आगे की जांच जारी है।



